न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 164 / 2025	2025 / 214	21.07.2025	29.04.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू०अ०) अलवर, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. लीलाराम, रामस्वरूप पुत्रान रामलाल,
2. लाली पुत्री रामलाल,
   नि0 नगलासमावदी, तहसील व जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी
02– अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:निर्णय:–

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14 (4) भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम नगलासमावदी, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 470 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 470 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म चाही3 भूमि वाके ग्राम नगलासमावदी, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का सिरमोली की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2025 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

अतः श्रीमान प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा नं. 470 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म चाही3 भूमि वाके ग्राम नगलासमावदी, तहसील अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है, के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त विवादित आवंटित आराजी साबिक खसरा नंबर 343 व हाल खसरा न0 470 रकबा 0.03 है0 भूमि के आवंटी/अप्रार्थीगण रामस्वरूप,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

लीलाराम पुत्रान रामलाल व लाली पुत्री रामलाल गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 110 द्वारा साबिक खसरा नंबर 343 व हाल खसरा न0 470 रकबा 0.03 है0 भूमि का अप्रार्थीगण के पिता रामलाल पुत्र सीरिया कौम भंगी को आवंटन गैर खातेदार का दर्ज व स्वीकृत किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा/आराजी पर मूल आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है एवं मौके पर उक्त खसरा नंबर पर गैर मुमकिन सड़क बनी हुई है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का कब्जा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटी/अप्रार्थी अप्रार्थीगण लीलाराम, रामस्वरूप, लाली पुत्र/पुत्री रामलाल जाति भंगी सा0 नगलासमावदी, गैर खातेदार को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)